HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil First Appeal No. 24/1996

Smt.kani Devi

----Appellant

Versus

Smt.rukmani Devi

----Respondent

Connected With

S.B. Civil First Appeal No. 406/2014

Rookmani Devi And Others

----Appellant

Versus

Smt Madhuri Sharma

----Respondent

For Appellant(s)	:	Mr. Mangal Chand Taylor
For Respondent(s)	:	Mr. M.M. Ranjan, Sr. Adv. with Ms. Shobha Verma

---

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

09/01/2026

S.B. Civil First Appeal No. 24/1996-

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र संख्या 1/2023 व 1/2025 अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी के प्रस्तुत किए हुए हैं। उनका निवेदन है कि वे आदेश 22 नियम 9 सीपीसी का और प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करना चाहते हैं, अतः समय प्रदान किया जावे।

निवेदन अनुसार प्रकरण चार सप्ताह बाद सूचीबद्ध हो।

S.B. Civil First Appeal No. 406/2014-

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा अंतरिम स्थगन की प्रार्थना की गई।

प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रकरण में अपीलार्थी संख्या 2/6 सुशीला देवी की मृत्यु कई वर्षों पूर्व हो चुकी है, परंतु उसके विधिक प्रतिनिधिगण को अभिलेख पर लाने हेतु अपीलार्थी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की है और इस कारण से अपील उपशमित हो गई है, ऐसी स्थिति में किसी प्रकार का कोई अंतरिम स्थगन आदेश नहीं दिया जावे। उनका यह भी कहना है कि निष्पादन न्यायालय में स्वयं अपीलार्थी संख्या 2/5 लोकेश धूलर की ओर से यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी संख्या 2/6 सुशीला देवी की मृत्यु वर्ष 2020 में हो चुकी है और इस कारण प्रकरण में कोई कब्जा वारंट की कार्यवाही नहीं की जा सकती। उनका तर्क है कि एक तरफ स्वयं मृतका/अपीलार्थी सुशीला देवी संख्या 2/6 के विधिक प्रतिनिधिगण को अभिलेख पर नहीं लिया गया और दूसरी तरफ इसी का लाभ लेने का प्रयास किया गया है, इसलिए कोई स्थगन आदेश नहीं दिया जावे।

विचार किया गया। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए इस प्रक्रम पर कोई अंतरिम स्थगन आदेश देने का कोई औचित्य नहीं है।

प्रकरण चार सप्ताह बाद सूचीबद्ध हो।

(SHUBHA MEHTA),J

NIMIT GOYAL /49-50